क्रम संख्या—31(च)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०
डब्लू/एन०पी०—91/2008—10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 4 फरवरी, 2009
भाद्रप्रद 15, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग

संख्या 194/28—1—2009
लखनऊ, 04 फरवरी, 2009

अधिसूचना/संशोधन

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम—2000 की धारा 73 (2) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्तिम आवंटन आदेश जारी किये गये हैं। भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या—14/279/2002—एसआर(एस) दिनांक 08 जून, 2006 के प्रकाश में दोनों राज्यों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य परामर्शीय समिति द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2008 को सम्पन्न बैठक में विचार—विमर्श के उपरान्त Genuine Hardship (वास्तविक व्यथा) एवं Spouse Policy (दाम्पत्य नीति) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड से एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या—14/279 /2002—एसआर(एस), दिनांक 08 जून, 2006 तथा पत्र संख्या—27/18/2008—एसआर(एस), दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 के अनुपालन में तथा राज्य परामर्शीय समिति द्वारा अन्तिम किए गए सिद्धान्त के अनुरूप तात्कालिक प्रभाव से दोनों राज्यो के मध्य कार्मिकों के अन्तिम आवंटन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

1—Genuine Hardship (वास्तविक व्यथा) के अंतर्गत राज्य परिवर्तन की सुविधा :—

अ—इस श्रेणी के अर्न्तगत केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जिनकी अनन्तिम अन्तिम आवंटन सूची (T.F.A.L) जारी हो चुकी हो परन्तु अन्तिम आवंटन सूची (F.A.L) जारी नहीं हुई हो।

पात्रता—

1—यदि शासकीय कार्मिक स्वयं अन्धता, ह्रदय बाईपास, गुर्दा रोग, कैंसर या मानसिक रोग से ग्रसित हों।

2–यदि शासकीय सेवक के पति या पत्नी, आश्रित माता–पिता एवं आश्रित बच्चे गुर्दा रोग, कैंसर, या मानसिक रोग से ग्रसित हों।

ब–Spouse Policy (दाम्पत्य नीति) के अंतर्गत राज्य परिवर्तन की सुविधा :–

(क) ऐसे शासकीय विभागों के सेवक जिन्हें उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड राज्य अन्तिम रूप से आवंटित हुआ हो, दाम्पत्य नीति के अनुसार स्थानान्तरणोपरान्त उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड में नियत तिथि 09 नवम्बर, 2000 को धारित पद के स्तर पर ही समायोजन के पात्र होंगे।

(ख) नीति के अन्तर्गत ऐसे शासकीय सेवकों को सुविधा अनुमन्य होगी जिनके दम्पत्ति शासकीय विभागों में अथवा निम्न संस्थाओं में कार्यरत हों :–

(i) राजकीय शिक्षण संस्थाएं, राजकीय विश्वविद्यालय, राजकीय डिग्री कालेज आदि के कार्मिक।

(ii) शासकीय प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, यथा–आई0टी0आई0 आदि के कार्मिक।

(iii) शासकीय चिकित्सकीय शिक्षण संस्थाएं यथा–संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्मिक।

(iv) राजकीय तथा केन्द्रीयत निगम जिनका कार्य क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत हो तथा भारत सरकार की संस्थायें यथा–C.D.R.I. लखनऊ, I.T.R.C. लखनऊ, वनस्पति अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ, I.V.R.I. बरेली आदि।

(v) राज्य नियंत्रणाधीन एवं राज्य वित्त पोषित स्वायत्तशासी, संस्थाओं, बेसिक शिक्षा परिषद् तथा ऐसी सस्थायें जिनके वेतनमान राज्य वेतन समिति द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

(ग) दम्पत्ति के राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत होने की दशा में उपरोक्त (क) एवं (ख) की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(घ) नीति के अंतर्गत विवाह की तिथि के अनुसार आरोही क्रम में वरीयता दी जायेगी।

(ङ) नीति के अंतर्गत उन कार्मिकों को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी, जिनका विवाह नियत तिथि 09–11–2000 के पश्चात हुआ हो।

(च) इस नीति के अन्तर्गत विस्तृत प्रचार एवं प्रसार के उपरान्त विकल्प देने के लिये केवल 30–06–2009 तक का समय दिया जायेगा। उपलब्ध रिक्तियों की संगणना वर्ष 2008–09 तक के चयन वर्ष की रिक्तियों के आधार पर की जायेगी।

(छ) सम्बन्धित राज्यों में उपलब्ध समकक्ष विभाग में रिक्तियों, भर्ती के स्त्रोत (यथा सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति) तथा आरक्षण नीति के अनुसार ही स्थानान्तरण/समायोजन पर विचार किया जा सकता है।

(ज) यदि पति–पत्नी दोनों ही शासकीय सेवा में हैं, तो पत्नी के विकल्प के आधार पर ही समायोजन किया जायेगा।

(झ) ऐसे शासकीय सेवक (दाम्पत्य नीति से आच्छादित प्रकरण) जिन्हें उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड राज्य अन्तिम रूप से आवंटित हुआ हो, वे उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड में नियत तिथि 09 नवम्बर, 2000 को जिस पद पर थे, उसी पद पर तथा उसी विभाग/विभागाध्यक्ष के अधीन सेवा के पद/संवर्ग में उसी वेतनमान एवं समकक्ष कार्य–प्रकृति के पद पर समायोजित होंगे।

(ञ) ऐसे शासकीय सेवक (दाम्पत्य नीति से आच्छादित प्रकरण) जिनकी सेवानिवृत्ति में, इस नीति के प्रसारित होने की तिथि से एक वर्ष से कम समय शेष रह गया हो, वे समायोजन के पात्र नहीं होंगे।

(ट) ऐसे शासकीय सेवक (दाम्पत्य नीति से आच्छादित प्रकरण) जिनके विरूद्ध विभागीय जांच/सतर्कता जांच/अभियोजन की कार्यवाही प्रचलित है, वे समायोजन के पात्र नहीं होंगे।

(ठ) ऐसे शासकीय सेवक, जिन्होंने पारस्परिक स्थानान्तरण की सुविधा प्राप्त कर ली है, वे दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

(ड) समायोजन के फलस्वरूप शासकीय सेवक को स्थानान्तरण भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

(ढ) यदि नीति के अनुसार स्थानान्तरित दम्पत्ति को अन्तिम रूप से आवंटित किया जा चुका हो, तो समायोजन के फलस्वरूप उत्तरवर्ती राज्य में कार्यभार ग्रहण करने वाले शासकीय सेवकों को संविलियन करते हुये उनकी ज्येष्ठता तिथि 09 नवम्बर, 2000 से निर्धारित की जायेगी।

(ण) भारत सरकार द्वारा अन्तिम राज्य के दिनांक 09 नवम्बर, 2000 के बाद किसी शासकीय सेवक को उत्तरवर्ती राज्य में यदि पदोन्नति दी गयी है और वह उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड (जैसी भी स्थिति हो) राज्य में समायोजन चाहता है, तो उन्हें समायोजन पर आये उत्तरवर्ती राज्य में अन्तिम आवंटन के समय दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को धारित पद पर पदावनत कर, उस राज्य में संविलियन किया जायेगा। समायोजन के पश्चात् उत्तरवर्ती राज्य में कार्यभार ग्रहण करने के बाद सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी यदि संवर्ग में पदोन्नति हेतु पात्रता रखते है, तो इस पर संबंधित राज्य द्वारा विचार किया जायेगा।

(त) दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उसी स्थिति में विचार किया जायेगा जबकि पति एवं पत्नी दोनों दिनांक 09 नवम्बर, 2000 के पूर्व सरकारी नौकरी में कार्यरत रहे हों अथवा दोनों में कोई एक सरकारी नौकरी में तथा दूसरा उपरोक्त (ख) में इंगित विभिन्न सरकारी संस्थाओं में से किसी एक में कार्यरत रहा हो।

(थ) उपरोक्त में वर्णित दाम्पत्य नीति के सुविधा उस हालत में भी प्रदान की जायेगी जबकि पति एवं पत्नी दोनों स्टेट कैडर से इतर जिला अथवा मण्डल कैडर के कर्मी हों।

2–राज्य परिवर्तन की प्रक्रिया–परिवर्तन के इच्छुक एवं पात्र कार्मिक अपना आवेदन–पत्र जिस उत्तरवर्ती राज्य में वे कार्यरत हैं, उस राज्य के अपने विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।

उत्तरवर्ती राज्य के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष ऐसे प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अपने अभिमत के साथ आवेदन–पत्र संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित करेंगे। संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने अभिमत के साथ उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड राज्य, जैसी भी स्थिति हो, के संबंधित प्रशासकीय विभाग की टिप्पणी प्राप्त कर राज्य परामर्शीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु समिति के सचिवालय यथा–उत्तर प्रदेश शासन के उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग को प्रेषित करेंगे।

3–उपरोक्त के अतिरिक्त अंतिम आवंटन के प्रकरण राज्य परामर्शीय समिति द्वारा विचार हेतु पुनः नहीं व्यवहृत किये जायेंगे।

4–राज्य परामर्शीय समिति के निर्णयानुसार केवल लम्बित मामलों को छोड़ते हुए उत्तरवर्ती राज्यों के कार्मिकों के बीच हुए आपसी समझौते पर आधारित पारस्परिक स्थानान्तरण की सुविधा तात्कालिक प्रभाव से समाप्त की जाती है।

आज्ञा से,
आर0 एम0 श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 984 राजपत्र (हिन्दी)–(2122)–586 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 पुनर्गठन समन्वय–(2123)–09–1000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।